

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ,मुख्यालय, जयपुर ।


क्रमांक एफ-4 / मु. / याता / लेखा (162) / 2019 / 405

दिनांक :- 11-10-2019

कार्यालय-आदेश

जयपुर-दिल्ली-जयपुर मार्ग पर संचालित वोल्वों/सुपर लज्जरी बसों के आदेश क्रमांक एफ-4 / मु. / याता / लेखा / (162) / 2019 / 336 दिनांक 04.09.19 द्वारा मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार के तीन दिवसों में यात्री किराया राशि रु. 900/- (सभी अधिभार / शुल्क एवं कर सहित) प्रति यात्री के स्थान पर रु. 700/- (सभी अधिभार / शुल्क एवं कर सहित) प्रति यात्री निर्धारित किया गया था । उक्त आदेश को दिनांक 11.9.2019 से तीन माह के लिये प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया था ।


उक्त मार्ग पर उक्त दिवसों को प्रदान की जा रही रियायत / छूट को अग्रिम आदेशों तक तुरन्त प्रभाव से स्थगित किया जाता है ।
उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


कार्यकारी निदेशक (यातायात)

क्रमांक एफ-4 / मु. / याता / लेखा(162) / 2019 / 405 दिनांक :- 11-10-2019

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर
2. समस्त विभागाध्यक्ष () राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर ।
3. समस्त महा प्रबन्धक, / संयुक्त महा प्रबन्धक () राजस्थान परिवहन निगम, मु0 जयपुर
4. निगम सचिव रा0 परि0 निगम मु0 जयपुर ।
5. उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी / बजट / टिकिट / अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0, मु0 जयपुर
6. उप महा प्रबन्धक (आई.टी) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवम् तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे ।
7. जोनल मैनेजर, राजस्थान परिवहन निगम...जयपुर जोन को प्रेषित कर जयपुर-देहली -जयपुर मार्ग पर संचालित सेवाओं का समानीकरण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
8. जोनल मैनेजर राजस्थान परिवहन निगम.....
9. कार्यकारी प्रबन्धक, (जनसमर्पक) / संचालन / () रा.प.नि. मुख्यालय जयपुर ।
10. सहा0. लेखाधिकारी, (टिकिट / अंकेक्षण) राजस्थान परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर ।
11. समस्त मुख्य प्रबन्धक, / प्रबन्धक. (वित्त) राज0 परि0 निगम.....आगार ।
12. आदेश पत्रावली ।


कार्यकारी प्रबन्धक (यातायात)